उत्तराखण्ड शासन के सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के पत्र संख्या: 1638/**XXX**–1–12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के क्रम में सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के लिए उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन) द्वारा बिन्दुवार सूचनाएं सबकी पहुँच में रखने के उद्देश्य से वेबसाईट पर प्रदर्शित की गयी हैं।

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इस कार्य हेतु डा0 बी0पी0 पुरोहित, संयुक्त निदेशक [redacted] एवं परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

बिन्दु संख्या: 2 विभागों के अन्तर्गत ₹ 25.00 लाख अथवा अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं के ठेके देने सम्बन्धी सूचनाएं।

परिषद की एकमात्र निर्माणाधीन परियोजना विज्ञान धाम के निर्माण कार्य हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 618/**XXXVIII**/08–47/वि0प्रौ0/2007 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को परिषद मुख्यालय भवन, चाहरदीवारी का निर्माण, ट्यूबवैल निर्माण, भूमि समतलीकरण तथा सड़क मार्ग इत्यादि के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था बनाया गया है। उक्त निर्माण कार्य की कुल लागत ₹ 477.86 लाख आंगणित की गयी है। निर्माण कार्य जारी है।

विज्ञान धाम परियोजना अन्तर्गत ही विज्ञान केन्द्र की स्थापना राष्ट्रीय संग्रहालय विज्ञान परिषद (एन0सी0एस0एम0), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है जिस हेतु राज्यांश के रूप में शासन द्वारा ₹ 4.25 करोड़ एन0सी0एस0एम0, कोलकाता को अवमुक्त किया जा चुका है, शेष ₹ 4.25 करोड़ केन्द्रांश के रूप में एन0सी0एस0एम0 द्वारा परियोजना हेतु व्यवस्था कर तीव्र गति से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

बिन्दु संख्याः 3 राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत ₹ 10.00 लाख अथवा अधिक मूल्य की सामग्री आपूर्ति के सम्बन्ध में वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जायेगी।

बिन्दु संख्या–3 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 4 राज्य के अन्तर्गत किसी संस्था को भूमि आवंटन के लिए यदि कोई नीति है तो उस नीति का प्रकाशन वेबसाईट पर किया जायेगा। भूमि आंवटन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विधि के संसंगत उद्धरण। इसी प्रकार भूमि आवंटन के सुसंगत नियमों के उद्धरण तथा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में शासनादेश का प्रकाशन वेबसाईट पर किया जायेगा। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में आवेदनकर्ताओं तथा जिनको भूमि का पट्टा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हुआ है, उनके सम्बन्ध में सूचना का प्रकाशन वेबसाईट पर किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–4 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 5 राज्य की खनन नीति वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी तथा खनन नीति के अन्तर्गत खनन हेतु पट्टों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सूचनायें वेबसाईट पर प्रकाशित होंगी।

बिन्दु संख्या–5 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 6 राज्य की भू–विधियों के अनुसार राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत भूमि क्रय हेतु अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं, उन मामलों में आवेदनताओं के सम्बन्ध में सूचनायें वेबसाईट पर प्रकाशित होंगी।

बिन्दु संख्या–6 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 7 राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में 01 जुलाई को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रिक्त पदों का विवरण वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा राज्य सरकार के विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भी प्रकाशित की जायेगी।

राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर कोई सीधी भर्ती नहीं की गयी है। वर्तमान में शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा/आउट सोर्स के माध्यम से कार्मिक नियुक्ति किये गये हैं।

बिन्दु संख्याः 8 विभागों में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी टिप्पणी (जिसमें रिक्त पदों और पदों से सम्बन्धित सेवा नियम, अर्हता, पात्रता क्षेत्र एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आदि से सम्बन्धित विवरण समाविष्ट होते हैं), विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त/संस्तुति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं निर्गत पदोन्नति आदेश का विवरण आदि।

वर्तमान में परिषद की सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं है। प्रख्यापित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित बिन्दु पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

बिन्दु संख्याः 9 तहसीलों से निर्गत किये गये स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का विवरण प्रकाशित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में सूचनायें वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी।

बिन्दु संख्या–9 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 10 तहसीलों से निर्गत किये गये जाति प्रमाण–पत्रों का विवरण प्रकाशित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में सूचनायें वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी।

बिन्दु संख्या–10 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 11 पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का निजी संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रकाशित की जायेंगी।

बिन्दु संख्या–11 से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

बिन्दु संख्याः 12 वेबसाइट पर उक्तानुसार उल्लिखित सूचनाओं का प्रकाशन दिनांक 15.12.2011 से प्रारम्भ किया जायेगा। तद्नुसार सम्बन्धित विभागों में उक्त सूचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था बना ली जाये।

उक्त बिन्दु के क्रम में परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार सूचनाओं का प्रकाशन वेबसाईट पर किया गया है।